स्वास्थ्य प्रशिक्षिकाओं का प्रशिक्षण

दूसरा – चरण

22 से 31 जनवरी 1999

गोमिया – बिहार

जागोरी द्वारा आयोजित

आभा भैया व सीमा श्रीवास्तव

जागोरी
JAGORI

स्वास्थ्य प्रशिक्षिकाओं का प्रशिक्षण
दूसरा – चरण
22 से 31 जनवरी 99
गोमिया बिहार

जागोरी द्वारा चलाये जा रहे 'स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम' के अन्तर्गत 'स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का स्वसहायता प्रशिक्षण व महिला रोगों से सम्बन्धी जॉच व उपचार प्रशिक्षण' के दूसरे चरण का आयोजन 22 से 31 जनवरी 99 को गोमिया – बिहार में किया गया।

स्वास्थ्य प्रशिक्षण के दूसरे चरण में जागोरी दिल्ली से आभा भैया व बम्बई से सबला ने सन्दर्भ महिलाओं की भूमिका निभाई। दस दिनों की इस कार्यशाला में एक बार फिर से हम सहयोगी समूह इकट्ठे हुये और हमने स्वास्थ्य के अन्य कई मुद्दों पर बात – चीत की।

पहले चरण में जहॉ हमने खुद के शरीर की यात्रा करते हुए अपने आप से नज़दीकी रिश्ता बनाया, औरताना नज़रिए से औरतों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। वहीं दूसरे चरण में स्वास्थ्य मेले के आयोजन और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों के साथ स्व जॉच के हुनरों को और गहराई से पुख्ता किया।

प्रशिक्षण के **उद्देश्य**

- पहले चरण के मुद्दों व जानकारियों को दोहराना।
- पहले चरण में सीखे स्व जॉच के हुनरों में आत्मविश्वास बढ़ाना।
- अन्य मुद्दे जैसे स्वास्थ्य व कानून, स्वास्थ्य नीतियॉ व एड्स पर चर्चा व इन मुद्दों पर औरताना सोच बनाना।
- अपने इलाकों में स्वास्थ्य मेले द्वारा औरतों को स्वास्थ्य जानकारियॉ बॉटना व मेला आयोजन के हुनरों को सीखना।
- स्व जॉच के साथ ही खून की जॉच व लैब तकनीकियों को भी सीखना।

स्व जॉच व स्व सहायता (प्रशिक्षिकाओं का प्रशिक्षण)
दूसरे चरण के मुद्दे

संदर्भ महिलायें: –सबला व आभा भैया

तारीख	मुद्दे
22.1.99	▪ पहले चरण के अनुभवों व जानकारियों का अपने इलाके में जुड़ाव व प्रतिक्रिया को बॉटना।
23.1.99	▪ एच आई वी व एड्स के संदर्भ में औरतें
24.1.99 व 25.1.99	▪ औरतों के स्वास्थ्य व कानून, नई आर्थिक नीति व स्वास्थ्य नीति का औरतों के स्वास्थ्य पर असर।
26.1.99 व 27.1.99	▪ लैब तकनीक व जॉच के हुनरों को सीखना जैसे–खून की जॉच, पेशाब में शुगर, टी.बी की जॉच व गर्भधारण जॉच आदि। (संदर्भ व्यक्ति–बबलू)। ▪ स्वास्थ्य मेले की तैयारी–स्वास्थ्य पोस्टर, गीत, नारों की तैयारी व स्व जॉच के हुनरों का अभ्यास।
28.1.99 व 29.1.99	▪ स्वास्थ्य मेला–गोमिया बस्ती व लहरिया टॉड़, दो इलाकों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन।
30.1.99	▪ स्वास्थ्य मेले का मूल्यांकन व स्वास्थ्य केन्द्रों में औरतों के स्वास्थ्य रिकार्ड रखने की विधि पर बातचीत।
31.1.99	▪ प्रशिक्षण के तीसरे चरण व भविष्य के स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर बातचीत।

सत्र की शुरूआत हमने पहले चरण की जानकारियों को संक्षेप में दोहराकर और इलाकों में चल रहे स्वास्थ्य केन्द्रों के अनुभवों को बॉटते हुए की।

पहले चरण के अनुभवों व जानकारियों का अपने इलाके से जुड़ाव

स्व सहायता व जॉच प्रशिक्षण के पहले चरण के हुनरों का अपने इलाकों में कितना अभ्यास कर पाये, इलाके की औरतों की प्रतिकिया कैसी रही आदि अनुभवों को हमने आपस में बॉटा।

माहिला जागृति केन्द्र गोमिया बिहार:– स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा नहीं है इसलिए कार्यालय में ही औरतों को बुलाकर स्पेक्युलम व बाइमैन्यूल की जॉच की है। ज्यादातर समस्या सफेद पानी की आती है। गॉवों में भी जाकर कुछ औरतों की अन्दुरूनी जॉच, व जड़ी-बूटी दवा करने का सुझाव दिया है। पिछले प्रशिक्षण के अनुभवों व जानकारियों को अपने इलाके के समूह के साथ बॉटने की प्रकिया लगातार चल रही है।

अलर्ट इन्डिया मुम्बई:– बाइमैन्यूल करने में आत्मविश्वास आया है। कई औरतों की स्पेक्यूलम जॉच भी की है। स्त्रावों की पहचान व इलाज की सलाह देने में आत्मविश्वास आया है।

महिला समारव्या सहारनपुर:– पहले प्रशिक्षण के बाद गॉव में करीब तीन स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं, जहॉ महीने में दो दिन स्व जॉच की सुविधा है। स्पेक्यूलम से कई औरतों की जॉच की है मगर बाइमैन्यूल करने में ज्यादा आसानी रही है। स्व जॉच के हुनरों में अभी आत्मविश्वास नहीं आया है। काफी तादाद में औरतें आती हैं जिन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के साथ इलाज के सुझाव भी दिये जाते हैं। इलाके में बच्चेदानी का बाहर आ जाना व किशोरियों में महावारी न होना प्रमुख समस्या के रूप में आ रही है।

महिला समारव्या टिहरी:– पहले चरण के प्रशिक्षण के तुरन्त बाद ही इलाके में स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की है। जड़ी-बूटी व दाई की मासिक बैठकों में स्व जॉच व स्व सहायता प्रशिक्षण के अनुभवों को भी बॉटा है। करीब दस बारह स्पेक्यूलम जॉच की है जिसके दौरान कुछ गम्भीर समस्यायें भी आई हैं जिन्हें पहचानने में दिक्कत आई है। इस हुनर को अभी और मजबूत करने की जरूरत है। हमने औरतों से यह भी चर्चा की है कि कैसे वे स्वंय् अपने स्त्राव की जॉच करें और समस्या को पहचानने की कोशिश करें।

महिला समारव्या बॉदा:– दाईयों और सामान्य स्वास्थ्य कार्यशालाओं में स्व जॉच की जानकारियों को जरूर बॉटा है। बॉदा में पहले से ही स्वास्थ्य शिक्षण केन्द्र चल रहे हैं जिससे अपने शरीर के बारे में एक समझ और जागरूकता बन रही है। बॉदा में स्वास्थ्य केन्द्र जैसी व्यवस्था अभी नहीं है कि स्वॅ जॉच के हुनरों का अभ्यास कर सकें, मगर गॉवों में औरतों की स्तन जॉच जरूर की है।

महिला समारव्या बनारस:– काफी दिनों से स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हुई है जिसे पारम्परिक जड़ी–बूटी ज्ञानी व दाईयॉ मुख्य रूप से चला रही हैं। यहॉ काफी तादाद में औरतें अपनी समस्या लेकर आती हैं जिन्हें जड़ी–बूटी दवाई के सुझाव दिए जाते हैं।

जागोरी:– काफी अर्से से दिल्ली के दक्षिणपुरी बस्ती में औरतों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर काम हो रहा है। बच्चेदानी का बाहर आ जाना, सफेद पानी की समस्या आदि पर जड़ी–बूटियों से इलाज की भी सुविधा है। ये जरूर दिक्कत है कि दिल्ली में अधिकतर उपयोगी जड़ी–बूटियॉ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। इन सबके अलावा स्वॅ जॉच व स्व सहायता के हुनरों के अम्यास की अभी जरूरत है।

इन सारे अनुभवों को बॉटने के बाद हमें महसूस हुआ कि स्वं जॉच व स्व सहायता के हुनरों को अभी और मजबूत करने की ज़रूरत है। अभ्यास द्वारा ही किसी भी हुनर के प्रति आत्मश्विास बढ़ाया जा सकता है, इसलिए हमें औरतों से लगातार मिलते रहने की प्रकिया बनाई रखनी चाहिए। जिन–जिन इलाकों में स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं, वहॉ पक्के तौर से औरतों की समस्याओं, इलाज के सुझावों का विवरण होना चाहिए ताकि इलाज से कितना सुधार आ रहा है या तकलीफ बढ़ रही आदि जानकारियॉ हमें भी हो।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के नाते स्वास्थ्य के जानकारी स्तर को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। अपने इलाके के अलावा अन्य इलाकों में भी देखने की ज़रूरत है कि केन्द्र किस तरह चल रहे हैं। केन्द्र में औरतों की किस तरह की समस्यायें आती हैं, केन्द्र में इलाज के क्या साधन उपलब्ध हैं, इलाका किन जड़ी–बूटियों में धनी है। इस तरह के मेल जोल में जहॉ आपस के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को मिलता है वहीं दूसरी ओर आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

एचआईवी / एड्स
औरतें कितनी सुरक्षित!

आज हम एच आई वी और एड्स के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। और साथ ही महसूस कर रहे हैं इस मुद्दे का औरत की ज़िन्दगी और उसकी सेहत से गहरा जुड़ाव। इसके बावजूद इस समूचे मुद्दे के बारे में हमारे पास न तो पूरी जानकारी है और न ही इससे बचाव के माध्यम। जो जानकारियॉ हम तक पहुॅचती भी हैं वे पितृसत्तात्मक नज़रिए व नैतिक मुल्यों को ही हम औरतों पर थोपती हैं। एड्स क्या है, यह कैसे फैलता है और इस समूचे मामले में सरकार का क्या रवैया है इसे समझने के लिए हमने इस मुद्दे पर बातचीत की।

एच आई वी और एड्स के बारे में सुनते ही सबसे पहले क्या प्रतिकिया होती है?

- दहशत
- मौत
- भयानक बीमारी है
- रिश्ते में शक ही शक
- गैर शादीशुदा होना

सबसे पहले इसके बारे में कब व कहॉ सुना?

- प्रचार माध्यमों जैसे टी वी और अखबारों में सुना।
- महिला समाख्या के कार्यक्रमों के दौरान।

समाज के नज़रिए में इसे फैलाने की ज़िम्मेदारी किसकी हैं?

- समलैंगिक लोग
- वेश्या
- ट्क ड्राइवर
- विदेशी
- कैदी

समाज के इस नज़रिए में वर्ग का पूर्वाग्रह साफ ज़ाहिर होता है। पहले से ही जो वर्ग समाज के हाशिये पर खड़ा है, कमजोर वर्ग है, उन्हें ही यह पितृसत्तात्मक नज़रिया अपना निशाना बनाता है। सबसे पहले जब एड्स सामने आया तो इसे फैलाने का ज़िम्मेदार समलैगिंक लोगों को ठहराया गया। इसी तरह बाहरी मुल्कों में काले लोगों और गरीब तबके को।

आज पूरे देश भर में एड्स को महामारी मानकर कई सरकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं और इन पूरे कार्यक्रमों में वेश्याओं को ही केन्द्र में रखा गया है। प्रचार माध्यमों ने भी एड्स को इतना भयावह बना दिया है कि लोग इस मुद्दे पर चर्चा करने की बजाय इससे दूर भाग रहे हैं। एक भी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति का पता चलते ही उसे नमूने की तरह पेश किया जाता है मानो वह कोई विचित्र जीव हो। एचआईवी के प्रति समाज के इसी संकीर्ण रवैये ने आगे बढ़कर इस मुद्दे पर चर्चा करने की बजाय लोगों के बीच नासमझी की एक दूरी तय कर दी है।

हाल ही में एड्स को रोकने के लिए हमारी सरकार ने कुछ नीतियों को लागू किया जो हमारे मनाव अधिकारों के खिलाफ़ हैं। इनका कहना है कि दिल्ली की सभी नारी निकेतन में रह रही औरतों व सरकारी अस्पतालों में पूर्वप्रसव के लिए आती औरतों व मर्दो की एचआईवी की जॉच की जानी चाहिए। ये जॉच जबरदस्ती बगैर लोगों की जानकारी व सहमति के की जा रही है। आज बड़े पैमाने पर दिल्ली की गैर सरकारी व महिला समूहों ने सरकार के इस रवैये के खिलाफ़ अभियान चलाया है।

एचआईवी व एड्स क्या है?

अक्सर लोग एचआईवी व एड्स को एक ही मान लेते हैं, मगर ये दोनों ही सन्दर्भ अलग हैं। इसे समझने के लिए हमने पहले यह समझा की इन शब्दों के मायने क्या हैं?

एचआईवी

एच	आई	वी
ह्यूमन	इम्यूनो डेफीशिएन्सी	वायरस
इन्सान	रोग प्रतिरक्षा की कमी करने वाला	विषाणु

हमारे शरीर में सफेद व लाल कणिकायें होती हैं। यह सफेद रक्त कणिका हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की तरह काम करती है। हमारे शरीर को किसी भी बीमारी से बचने के लिए यह प्राकृतिक वरदान है। एचआईवी एक विषाणु है। यह विषाणु जब शरीर में प्रवेश कर जाता है

तो हमारी सफेद रक्त कणिकाओं पर हमला करता है, और धीरे-धीरे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती जाती है। यह विषाणु इतनी जल्दी-जल्दी अपनी संख्या बढ़ाता है कि कुछ अर्से बाद पूरे शरीर पर कब्जा जमा लेता है।

एड्स

ए	आई	डी	एस
एक्वायर्ड	इम्यूनो	डेफिशिएन्सी	सिन्ड्रोम
बाहर से प्राप्त किया हुआ	रोग प्रतिरोधक	कमी	लक्षणों का समूह

और एड्स शरीर की उस अवस्था को कहते हैं, जब शरीर बीमारियों से घिर जाता है और इसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत बिल्कुल कम हो जाती है या खतम हो जाती है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि इन्सान बहुत जल्दी मौत की तरफ जाने लगता है।

एचआईव विषाणु कैसे फैलते हैं? व इनसे बचाव के रास्ते क्या हैं?

एचआईवी के विषाणु शरीर में शरीर के द्रव्यों से ही दाखिल होते हैं जैसे खून, पुरूष वीर्य व योनि के स्त्रावों और माँ के दूध से बच्चे तक। इस विषाणु के शरीर में पहुँचने के तरीके हैं।

- असुरक्षित संभोग -बगैर निरोध के योनि व गुदा में संभोग।
- शरीर में एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाये जाने से।
- असुरक्षित सूई के प्रयोग से।
- गर्भवती माँ से बच्चे तक जाने की बीस प्रतिशत संभावना है।

यदि हम गौर से देखें तो एचआईवी विषाणु के फैलने के जितने भी रास्ते हैं वे हमारे सामाजिक परिवेश के कारण औरतों के मामलों में ज्यादा आसान रास्ते बन जाते हैं। चाहे मामला जबरदस्ती के यौन रिश्ते बनाने का हो, गर्भधारण का या फिर कमजोरी के वज़ह से विषाणु युक्त खून लेने का, औरतों के लिए खतरे हर सूरत में हैं।

एचआईवी फैलने में असुरक्षित यौन संभोग एक मुख्य कारण है जिसमें योनि, गर्भ स्त्राव, पुरूष वीर्य व महावारी का खून यदि एचआईवी पोजिटिव हो तो उनके ज़रिए विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए सुरक्षित यौन बनाने में, जहाँ दो साथी के शरीर के ये खास द्रव्य आपस में नहीं मिलते हैं, निरोध की अहम भूमिका है। अभी तक सुरक्षित व आसान गर्भनिरोध

पुरूष निरोध ही है। इसलिए सुरक्षित यौन संबधों की ज़िम्मेदारी मर्द की ज़्यादा बन जाती है। इसके अलावा भी यौन संबधों के कुछ अन्य आयाम भी हैं जिन्हें हमें अब अपनाने की ज़रूरत है। इसी चर्चा से जुड़ कर हमने ये देखा कि कौन-कौन से यौन अभ्यास बहुत खतरनाक, कम खतरे वाले व सुरक्षित अभ्यास हैं।

असुरक्षित यौन संबध

- बगैर निरोध के योनि व गुदा में संभोग।
- यदि किसी भी एक साथी को यौन संक्रमाक रोग हो।
- यदि लिंग संभोग करने के दौरान योनि या गुदा से स्खून आ जाए।

कम खतरे वाले कुछ अभ्यास

- असावधानी बरतना फटे हुए निरोध का इस्तेमाल।
- मौखिक यौन- उसी सूरत में खतरा है जब मुँह में ज़ख्म हो और स्खून निकल रहा हो, और लिंग या योनि से मुख मैथुन हो।
- यौन खिलौनों से संभोग व उन्हें अपने साथी के साथ बॉटना।

सुरक्षित अभ्यास

- शरीर को सहलाना चूमना।
- योनि, गुदा, स्खून व वीर्य द्रव्यों का एक दूसरे से मिलन न होना। जिसके लिए कंडोम सहायक है।
- हस्त मैथुन- अपने ही यौन अंगों को सहलाना, या उँगली से संभोग करना। (ध्यान रहे उगलियॉ ज़ख्मी न हों।)
- एक दूसरे को इज़्जत देना।

एड्स के बारे में सुनते ही लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि इसकी शुरूआत कहॉ से हुई? क्योंकि यह मुद्दा यौन व्यवहार से जुड़ा है तो बहुत जल्दी हम अच्छे और बुरे की छवि बनाने और दोषी को तलाशने लगते हैं। यह रवैया हमें बदलना होगा। यह कहॉ से आया यह सवाल इतना अहम नहीं है जितना कि इससे सामना कैसे करें। इससे लोगों के यौन व्यवहारों को ऑकना गलत है। सबसे महत्वपूर्ण कदम है इसके फैलाव को रोकने की जिम्मेदारी लेना। जो इसकी जकड़ में आ चुके हैं उनका तिरस्कार करने की बजाय ज़रूरत है उन्हें अपनाना। यह सवाल नहीं है कि किस तरह के लोग एड्स फैलाते हैं, वरन किस तरह का व्यवहार हमें असुरक्षित कर सकता है चाहे वह शादी के अन्दर हो या बाहर। सवाल ये नहीं है कि हमारे कितने यौन सम्बन्ध हैं, सवाल ये है कि हम उन सबन्धों में कितनी सावधानी बरतते हैं चाहे वह एक ही साथी के साथ हो।

एचआईवी संक्रमित लोगों के प्रति हमारा रवैया कैसा हो?

इस मुद्दे पर काफी शोध चल रहे हैं मगर अभी तक इसका शर्तिया इलाज नहीं निकला है। मगर कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को बरत कर हम इसे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसके साथ यह भ्रम जुड़ा है कि एचआईवी विषाणु शरीर में घुसते ही लोग तुरन्त मर जाते हैं, वास्तविकता यह है कि यह विषाणु सालों शरीर में छुपा रह कर कभी भी एड्स के रूप में सामने आ सकता है। यदि कुछ अहम सावधानी बरती जायें तो इन्सान कई सालों तक ज़िन्दा रह सकता है।

- इसे बढ़ने से रोकने के लिए सबसे अहम बात है कि ऐसा वातावरण कायम करें जहॉ संक्रामक बीमारी न लगे क्योंकि यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि एचआईवी संक्रमित होने से शरीर अन्य किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत खो बैठता है।
- जितना हो सके गिज़ा में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना ताकि शरीर मजबूत रह सके।
- बीच-बीच में जॉच करवाते रहना कि हालत कैसी है।
- एड्स के साथ नैतिक मुल्यों को थोपा जाता है जिससे संक्रमित लोगों के साथ घृणा की भावना जुड़ जाती है। इनको प्यार व सम्मान की ज़रूरत है वे भी हम जैसे लोग ही हैं। उनके मौत से लड़ने के इस मुहिम में हमारा सम्मान का रवैया ही उनका हौसला बढ़ा सकता है।

औरतों पर नैतिक मुल्यों का दबाव

आज हालात ऐसे हैं कि एड्स किसी को भी हो सकता है चाहे अमीर तबका हो या गरीब मजदूर! औरत-मर्द हों या बच्चे कोई भी एड्स के खतरों से सुरक्षित नहीं है। हॉ यह ज़रूर है कि औरतों के लिए एड्स के खतरे के आलावा अन्य सामाजिक पहलू इस पूरे मामले को संगीन बना देते हैं। औरत के प्रति समाज में दोहरी नीति, परिवार में निचला दर्जा, उसके जीवन और यौनिकता पर पितृसत्तात्मक समाज का नियंत्रण, ये सारे पक्ष एड्स के खतरे को और बढ़ा देते हैं। ज्यादातर औरतों को न तो अपने शरीर की जानकारी है न ही अपने शरीर पर हक़। जो जानकारियॉ मिलती भी हैं वे या तो अधूरी होती हैं या गलत। औरत को उसकी यौनिकता की आज़ादी नहीं है, उपर से नैतिकता के मुल्यों को ढोना भी उसी के हिस्से में है। समाज में दोयम दर्जे की वज़ह से वह साथी को 'ना' भी नहीं कह सकती और न ही निरोध के इस्तेमाल पर दबाव डाल सकती है। दूसरी ओर वेश्या के रूप में यदि औरत निरोध की जबरदस्ती करती है तो मर्द कहता है 'मैं किसी दूसरी के पास जाता हूँ'। इसलिए सवाल उठता है कि औरत के हाथों में निर्णय है कहॉ? समाज औरत को मॉ व पत्नि के रूप में ही देखता व दर्जा देता है औरत

को चुनाव ही नहीं कि वह एकल रह सके। और यदि शादी की संस्था में रहती है तो निर्णय साथी के हाथों में होता है।

एड्स से बचाव के संदेशों में संचार माधयम औरतों को नैतिक संदेश देते हैं कि शादी के परम्परागत ढ़ाचें में ही रहो या एक विवाह यौन रिश्ता ही सुरक्षित है। और ये सारी सूचनायें खासकर औरतों को ही दी जा रही हैं। जबकि सच्चाई है कि अक्सर यौन संबधों में मर्जी मर्द की होती है। इन रवैयों से यौन संबधों को भी कटघरे में खड़ा कर जायज़ और नाजायज़ के पलड़े में ऑका जा रहा है।

यहॉ एड्स के मुद्दे से ही हमने यौनिकता के कुछ अन्य पहलुओं को छुते हुए इसपर बातचीत की कि एड्स की चर्चा से एक सकारात्मक पहलू जरूर निकल कर आया है कि धीरे-धीरे यौनिकता व यौन रिश्तों पर बात-चीत होने लगी है। हमेशा से पड़ी चुप्पी की चादर उठ रही है और इसकी रोशनी में शादी के आलावा अन्य भी कई रिश्ते सामने आ रहे हैं। जिन्हें हमें समझने व दर्जा देने की ज़रूरत है। दो वयस्कों के बीच संबध यदि उनकी मर्जी से हो तो वही जायज़ है। आर्कषण प्राकृतिक है जिसमें उम्, लिंग व जाति जैसे मुद्दे गौण हो जाते हैं। आपसी समझ व मर्जी के चुनाव से एड्स जैसे खतरों से लड़ा जा सकता है। प्यार के रिश्ते केवल शारीरिक संभोग तक ही सीमित नहीं हैं। आपसी मान सम्मान व एक दूसरे को समझना इसका अहम हिस्सा है।

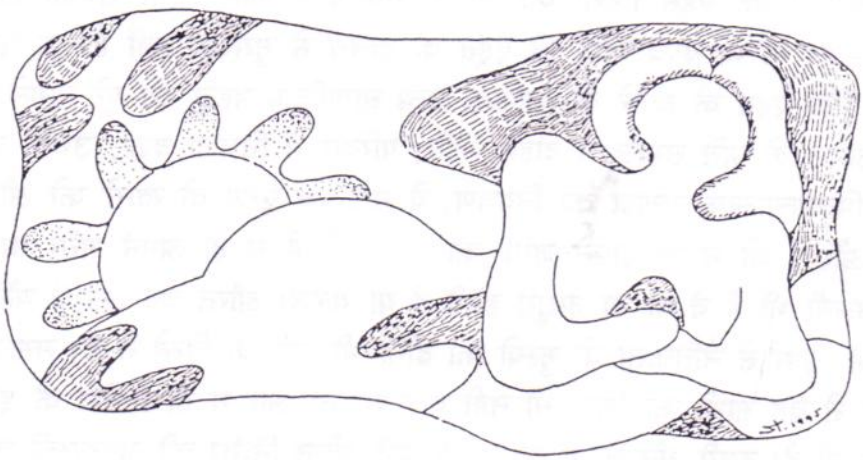

हमारे यौन रिश्ते सिर्फ लिंग केन्द्रित हो गये हैं
ज़रूरत है रिश्तों के अन्य आयामों को तलाशने की।

स्वास्थ्य और कानून

हम औरतों के स्वास्थ्य के सन्दर्भ में कानून की भूमिका व स्वास्थ्य से कानून के जुड़ाव को समझने के लिए हमने स्वास्थ्य व कानून पर बात-चीत की।

स्वास्थ्य कानून व सरकारी नीतियों में कहॉ जुड़ाव है

- गर्भपात कानून
- लिंग परिक्षण कानून
- जानकारी का हक
- बच्चा गोद लेने का कानून
- इन्सानी प्रयोग नियमन कानून
- औषधि नियमन कानून
- उपभोक्ता सुरक्षा कानून
- मानसिक रोग कानून
- स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण नीति
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

इनके अलावा कानून व स्वास्थ्य का जुड़ाव हम स्वास्थ्य सरकारी नीतियों के सन्दर्भ में साफ दिखाई देता है। हर पॉच सालों में सरकार की तरफ से स्वास्थ्य नीतियॉ बनाई जाती हैं व पिछली नीतियों में बदलाव होते रहते हैं।

नीति और कानून में बुनियादी फर्क

सरकार आम आवाम के लिए नीतियॉ बनाती है और उन नीतियों को पूरे देश भर में लागू करने का प्रावधाान रहता है। दूसरी तरफ कानूनी धाारायें हैं जो संविधाान में दर्ज की गई हैं। नीतियों व कानून में बुनियादी फर्क यही है कि अगर नयी नीतियॉ लागू की जाती हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। परन्तु कानून बनने के बाद संविधाान में जगह बन जाती है। इससे कानूनी लड़ाई में मदद मिल जाती है यानि कहीं तो सुनवाई है जहॉ हम अपनी मॉग रख सकते हैं। हर पॉच साल में हमारी सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा व जन विकास के लिए नई-नई नीतियॉ बनाती है। ये नीतियॉ देश के राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक माहौल से पूरी तरह प्रभावित होती हैं। आज भूगोलिकरण के संदर्भ में सिर्फ देश की ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और दबावों का इन नीतियों पर असर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर हमारी जनसंख्या नियंत्रण नीति जो पूरी तरह से अन्तर्राष्ट्रीय अनुदाताओं द्वारा संचालित है।

इसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण कानून जिनका हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, उनको जानने की कोशिश की।

❖ गर्भापात कानून

1971 में 'गर्भपात के हक' का कानून बनाया गया, और एम.टी.पी Midterm Termination Of Pregnancy नाम से कानूनी एक्ट पास किया गया। यह गर्भपात कानून अधिकार देता है कि औरत अपनी मर्ज़ी से विशेष अवधि के दौरान गर्भपात करा सकती है जिसके लिए उसे किसी की भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है।

- **गर्भपात कानून में पहले तीन महीने के अन्दर ही गर्भपात कराना कानूनी है।**
- **यदि बारह से बीस हफ्ते हो जायें तो दो रजिस्टरर्ड डाक्टरों की उपस्थिति ज़रूरी है।**
- **वे डाक्टर गर्भपात नहीं कर सकते जिनका सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन न हुआ हो।**

कानूनन औरत इन हालातों में गर्भपात करा सकती है।

- जब गर्भ में पल रहा भ्रूण किसी भी कारण से औरत की जान के लिए खतरा बन जाए।
- यदि गर्भ में ही भ्रूण को मानसिक या शारीरिक नुकसान होने का खतरा हो।
- यदि किसी औरत के साथ बलात्कार हो और उसे गर्भ ठहर जाए।
- यदि कोई भी गर्भनिरोधक साधान इस्तेमाल करने की अवधि के दौरान किसी औरत को गर्भ ठहर जाए तो इस गर्भ को गिराने का कानूनी हक है।
- यदि कोई औरत दुर्घटना में जख्मी हो जाती है तो ऐसे कुछ हालातों में डाक्टर भी यह तय कर सकती है कि गर्भपात करना है।

यह जानते और मानते हुये कि गर्भपात औरतों का कानूनी हक़ होना चाहिए, हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर यह गर्भपात कानून क्यों बनाया गया। ऐसा नहीं है कि अचानक ही हमारी सरकार का रवैया बदल गया हो और उसने औरतों के हाथों में निर्णय लेने का अधिकार सौंप दिया हो या औरतों के हितों में सोचना शुरू कर दिया हो। **सरकार ने यह कानून जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए बनाया है।** जिसकी आड़ में सरकारी हो या नीजि अस्पताल, हर जगह स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी मनमानी करता नज़र आता है। गर्भपात का कानून साफ लफ्ज़ों में कहता है कि औरत को गर्भपात के लिए किसी की इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है मगर अधिकतर औरतों का अनुभव है कि अस्पतालों में परिवार के मर्द सदस्यों या पतियों के हस्ताक्षर की मॉग की जाती है। यही नहीं गर्भपात के लिए कॉपर-टी या नसबंदी की शर्त रखी जाती है।

दूसरी तरफ यदि ऑकड़ों पर नज़र दौड़ायी जाए जो हम पायेगें कि देश भर में सबसे ज़्यादा गर्भपात के दौरान औरतों की जानें जाती हैं। करीब छः लाख औरतें गैरकानूनी गर्भपात से मरती हैं। औरतों के लिए सुरक्षित गर्भनिरोध के साधन नहीं है इसलिए बारबार अनचाहे गर्भ ठहर जाते हैं। सबसे ज्यादा गर्भपात के मामले गॉव के झोलाछाप डाक्टर, दाईयॉ और नीजि क्लीनिकों में ही आते हैं जहॉ व्यवस्था न होने के कारण औरतों के स्वास्थ्य का नुकसान होता है। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के नाते हमें एक नीति बनाने की ज़रूरत है कि दाईयों से मिलें और उनके हुनरों को और पुख्ता करें ताकि औरतों को अच्छी सुविधा मिल सके।

सरकारी अस्पतालों में गर्भपात करने के तरीके

सक्शन Suction:– सबसे पहले औरत को एक इन्जेक्शन देते हैं जिससे बच्चेदानी का मुँह ढ़ीला पड़ जाता है। उसके बाद सक्शन की मदद से बच्चेदानी से भ्रूण को खींच लिया जाता है। सक्शन विधि में एक हवा रहित मर्तबान होता है जिसमें लगी नलियॉ होती हैं, इनमें से एक नली को औरत के बच्चेदानी में डालकर भ्रूण को खींच लिया जाता है। सक्शन विधि से गर्भपात बीस हफ्ते के भीतर तक किया जा सकता है।

इन्डक्शन विधि Induction Method:– जैसे–जैसे भ्रूण गर्भ में पलता है बच्चेदानी उपर की ओर बढ़ती है जिससे पेट के उपर से ही बच्चेदानी में इन्जेक्शन लगा देते हैं और बच्चेदानी में हलचल मच जाती है जिससे भ्रूण अपनी जगह छोड़ देता है। चौबीस घण्टे के भीतर ही भ्रूण ऑवल के साथ बाहर आ जाता है। इन्डक्शन का प्रयोग हम सोलह से चौबीस हफ्ते तक करा सकते हैं।

प्रोस्टाग्लैन्डिन विधि Prostaglandin Method:– योनि में प्रोस्टाग्लैन्डिन नामक दवा की बत्ती को रख देते हैं जिससे धीरे–धीरे दवा रिस कर बच्चेदानी के मुँह को ढ़ीला कर देती है। यह विधि ज़्यादातर तभी अपनाते हैं जब गर्भ में भ्रूण खत्म हो गया हो।

डी एन सी :– यह अपने आप में गर्भपात नहीं बल्कि बच्चेदानी की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली विधि है। कभी–कभी गर्भ का वातावरण भ्रूण के लिए अनुकूल न हो तो गर्भ की डी एन सी सफाई करवाई जाती है कि यदि गर्भ में कोई खून के थक्के जमे हों तो निकल जाए। इसी विधि का कभी कभी गर्भपात के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

महावारी नियमन इन्जेक्शन Menstrual Regulation Injection :– इस विधि का प्रयोग छः से आठ हफ्ते के भीतर तक किया जा सकता है। यह एक पिचकारी की तरह होता है

जिसके मुँह को बच्चेदानी के भीतर डालकर भ्रूण खींच लिया जाता है। यह एक साधारण तरीका है जिसे सीखा जा सकता है।

इन सारी गर्भपात की विधियों की सुविधायें बहुत सीमित हैं और बड़े शहरों में ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा असुरक्षित गर्भपात कराना खतरे से खाली नहीं है। यदि गर्भपात करने के लिए इस्तेमाल किये गए उपकरणों को अच्छे से संक्रमण रहित न किया गया हो और गर्भपात करने के बाद कोई टुकड़ा व खून का थक्का रह गया हो तो बहुत ज्यादा मात्र में संक्रमण की संभावना होती है। संक्रमण से बुखार आना, जी मिचलाना, छातियों में सूजन, बच्चेदानी में दर्द, स्त्राव में बदबू व कभी-कभी फेलोपियन ट्यूब या बच्चेदानी की नलियों में सूजन व रूकावट आ जाती है।

कोई भी ऑपरेशन क्यों न हो शरीर का अन्दुरूनी भाग जब बाहरी वातारवरण के सम्पर्क में आता है तो संक्रमण लगने की पूरी-पूरी संभावना होती है। इसलिए किसी भी ऑपरेशन के बाद डाक्टर तुरन्त एंटीबॉयोटिक्स देना शुरू कर देते हैं, जो इन्फेक्शन के किटाणुओं को मारने के साथ ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले सफेद रक्त कणिकाओं पर भी बुरा असर डालते हैं। ज्यादा एंटीबॉयोटिक्स के इस्तेमाल से शरीर में संक्रमण के किटाणु इन दवाओं के आदी हो जाते हैं और तब ये एंटीबॉयोटिक्स भी अपना असर खो देते हैं।

❖ लिंग परिक्षण कानून – रेग्यूलेशन फॉर प्रीनेटेल डॉयग्नोसिस एक्ट (Regulation for prenatal diagnosis Act)

गर्भ में पल रहे भ्रूण के विकास, भ्रूण की स्थिति को समझने के लिए 'गर्भ जल' परिक्षण शोध के परिणाम स्वरूप निकला था, मगर बाद में यह भी सच्चाई सामने आई कि इस परिक्षण से केवल विकास ही नहीं बल्कि भ्रूण के लिंग का भी पता चलता है। महाराष्ट् में सर्वेक्षण से यह बात सामने आई कि अचानक ही राज्य में गर्भपात के मामले बढ़ गये हैं। इस तकनीक परिक्षण का प्रयोग लड़की भ्रूण को गर्भपात करने में प्रयोग करना शुरू कर दिया।

महिला समूहों व संगठनों को जैसे ही वास्तविकता का पता लगा सबने इसका विरोध किया। करीब पॉच सालों के निरन्तर संघर्ष के बाद महाराष्ट् सरकार ने इस पर कार्यवाही की, और परिणामस्वरूप महाराष्ट् सरकार ने महाराष्ट् में 1989 में लिंग परिक्षण के खिलाफ़ एक कानून रेग्यूलेशन फॉर प्रीनेटेल डॉयग्नोसिस एक्ट पास किया। जिसके तहत कुछ खास कानूनी प्रणालियॉ पारित की गई।

- छोटे-छोटे जॉच केन्द्रों को तुरन्त बन्द किया जाए। केवल सरकारी अस्पतालों, जहॉ मेडिकल कॉलेज हों, वहीं जॉच की जाये।
- इस जॉच का कोई विज्ञापन नहीं होना चाहिए।
- प्राइवेट डाक्टर यदि इसका अभ्यास करते हैं तो उन्हें तीन साल की सजा और पॉच हजार जुर्माना होगा।
- यदि गैरकानूनी तरीके से जॉच भी करवाई जाती है तो मॉ व रिश्तेदारों को हज़ार रू जुर्माना होगा। जिसकी जमानत भी पुलिस चौकी पर नहीं वरन कोर्ट में होगी। इस मामले में डाक्टर को माफ किया जा सकता है।

लिंग परिक्षण के इस कानून में बहुत सी कमियॉ हैं जो औरत के प्रति दोयम नीति रखती है। कानून के अनुसार यह स्पष्ट है कि जॉच के लिए यदि औरत जाती है तो वही दोषी होती है। पर कानून औरत पर पड़ते सामाजिक व पारिवारिक दबावों को बिल्कुल नकार जाता है, जो औरत को 'लड़की भ्रूण' का गर्भपात के लिए मजबूर करते हैं।

दूसरे अन्य कई परिक्षण जैसे सोनोग्राफी और अल्ट्रा साउन्ड की तकनीक भी है जिनसे भ्रूण के लिंग का पता चल जाता है। मगर इनपर रोक नहीं लगायी गई है। यह एक तरह का एक्स रे है जिससे गर्भ धारण करने के बाद बीस हफ्ते के भीतर भ्रूण के लिंग का पता चल जाता है। यानि एक तकनीक पर रोक लगी कि दूसरी आ गई। इनकी दुकान चलती रहती है उसका कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकलता है जैसे नेट एन नहीं तो नॉर प्लॉट आ गया।

यह कानून केवल महाराष्ट् में लागू होता है, इसलिए महाराष्ट् से बाहर लोग इसकी जॉच के लिए चले जाते हैं और आज भी लड़की भ्रूण हत्या बन्द नहीं हुई है। केवल कानून लागू करना ही काफी नहीं, ज़रूरत है औरतों और बच्चियों के प्रति सामाजिक नज़रिये को बदलने की।

❖ मानव प्रयोग नियंत्रण कानून Human Trial Regulation Act

जब भी किसी शोध द्वारा नयी दवा या तकनीक आती है, उसके प्रयोग का एक परिक्षण अन्तराल होता है। इसके फायदे व नुकसान को जानने के लिए यह प्रशिक्षण पहले जानवरों पर किया जाता है, यदि सफल हो जाए तो इन्सानों पर। इस प्रशिक्षण से संबन्धित कानून ने मानव प्रयोग नियंत्रण कानून बनाया है जिसके कुछ अहम पहलू हैं और यदि इनका पालन न किया जाए तो कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

- यह प्ररिक्षण जिस पर किया जा रहा है उसकी मेडिकल जॉच करना जरूरी है कि क्या वह इस प्रयोग के लिए उपयुक्त है।
- जिस पर प्रयोग किया जा रहा है उसे परिक्षण के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि प्ररिक्षण के क्या फ़ायदे व नुकसान हैं। यह जानकारी देना डाक्टर की नैतिक जिम्मेदारी है।
- प्रयोग के लिए किसी को भी प्रलोभन नहीं दिया जा सकता है।
- प्रयोग करने से पहले परिक्षण को सार्वजनिक बनाना होगा।
- किसी पर जबरदस्ती प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- हमेशा प्रयोग चार चरणों में किया जाना चाहिए। ताकि जैसे ही इसका नुकसान सामने दिखे तो परिक्षण बन्द किया जा सका।

इन सब कानूनी बातों के बावजूद खुले आम प्रयोग नियमन कानून के खिलाफ़ व्यवहार होता है। ये प्रयोग हमेशा औरतों, गरीबों, कैदियों व बाहरी मुल्कों में काले लोगों पर प्रयोग किये जाते हैं। यहॉ भी हम वर्ग, जाति, रंग और लिंग के पूर्वाग्रहों को देख सकते हैं कि कमजोर वर्ग ही इनके प्रयोगों का सामान बनता है। जिन्हें न तो पूरी जानकारी दी जाती है और न ही प्रयोग से होने वाले हानिकारक प्रभावों की परवाह की जाती है।

जनसंख्या नियंत्रण के पूरी राजनीति के सन्दर्भ में हम देख सकतें हैं कि किस तरह अमीर मुल्क गरीब मुल्कों में खासकर कमजोर तबके की औरतों पर गर्भनिरोधक साधनों को थोपती है। जब सरकार ने गर्भनिरोधक डेपो प्रोवेरा व नॉर प्लाट को हमारे मुल्क में औरतों को देना शुरू किया तो इनकी नीति विभत्स रूप में सामने आई। काफी तादाद में औरतों को बगैर किसी जानकारी, सुरक्षा व सुविधा के टीके के नाम पर उनके शरीर को गिनी पिग्स के रूप प्रयोग किया गया। बाहरी मुल्क अब औरत की उर्वरता खत्म करने वाला टीका (Anti Fertility Vaccine) पर शोध कर रहे हैं जिससे औरतों के प्रजनन पर नियंत्रण किया जा सके। इस टीके के विरोध में जर्मनी, अमेरिका व हमारे मुल्क में भी औरतों की संगठनें इस टीके का विरोध कर रही हैं।

तकनीक कभी निरपेक्ष नहीं है

इससे जुड़कर ही हमने यह भी बात की कि तकनीक कभी भी निरपेक्ष नहीं है यह हमेशा से उन लागों को फ़ायदा पहफॅचाती है जिनके पास समाज में ताकत व सत्ता है। इसलिए इसके खतरनाक नतीजों को कमज़ोर व ग़रीब वर्ग झेलता है। जैसे-जैसे मशीनीकरण हुआ है और तकनीक बढ़ी है, इसने जीवन के हर पहलुओं में हस्तक्षेप किया है। आज किसी भी मुल्क का विकास उसकी बढ़ती तकनिकीयों के साधनों से की जा रही है।

तकनीक का एक और विनाशकारी रूप हम *अमेरिका की बीज कम्पनी मोनसेंटो* के रूप में देख सकते हैं। मोनसेंटो अमरीका की एक बीज कम्पनी है जो जैव तकनीक (जेनेटिकल इंजीनिरिंगयर) से कई तरह के बीज तैयार करती है। इन बीजों में ऐसे गुण डाले गये हैं जो एक बार फसल उगने के बाद इनसे दोबारा फसल नहीं उगायी जा सकती। यानि कि जब भी बीज की ज़रूरत हो इस कम्पनी के पास हाथ पसारना होगा।

हाल ही में इस कम्पनी ने जैव तकनीक से बने सोयाबीन के बीज के लिए भारत को अपना व्यापार का केन्द्र बनाने की योजना बनाई। नतीजन हमारी सरकार से मिलकर हमारे अपने खाद्य तेल सरसों के खिलाफ़ षड़यन्त्र बनाया कि मिलावटी सरसों के तेल खाने की वज़ह से लोग मर रहे हैं। और रातों रात हमारी सरकार ने सरसों की छोटी-छोटी घानियों को बन्द करवा दिया।

यह मोनसेंटो सोया बीज के आने से पहले की ऐसी सोची समझी योजना थी जिसने न केवल हमारी फसलों पर असर किया बल्कि हमारी छोटी तेल की घानियों के उद्योगों का अस्तित्व खतरे में आ गया। जैव तकनीक के इस बीज के खाने से हमारी सेहत पर भी गहरा नुकसानदायक असर पड़ेगा क्योंकि यह प्राकृतिक उपज नहीं है, दूसरी तरफ अपनी रसायनिकता से यह धरती की उर्वरता को भी खत्म कर सकता है। आन्ध्र प्रदेश में इस कम्पनी ने ऐसे ही बीजों का व्यापार वहॉ के किसानों के साथ किया, जब किसानों को यह सच्चाई पता लगी तो उन्हें खेत के खेत जलाने पड़े।

इन चर्चाओं के दौरान हमने एक त्रासदी सी महसूस की, एक बार को इन सच्चाईओं ने हमें अकर्मण्य बना दिया कि इन सबका अन्त कहॉ है? इस विकास के अन्धे दौड़ ने हमसे हमारी ज़मीने, जंगल और अब हमारी ज़िन्दगियों पर हमारे हक़ तक छीन डाले हैं। किस तरह से ये राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय गतिविधियॉ व नीतियॉ हमारे मन-शरीर व पूरे अस्तित्व पर गहरा असर डालती हैं। इन्हीं बारीकियों और हमारे मुल्क पर अर्न्तराष्ट्रीय नीतियों के असर को समझने के लिए हमने नई आर्थिक नीतियों का सरकारी स्वास्थ्य नीतियों पर पड़ते असर को समझा।

सरकारी स्वास्थ्य नीति

सरकारी स्वास्थ्य नीतियों पर नई आर्थिक नीतियों का गहरा असर पड़ता है। हर पॉच साल पर सरकार स्वास्थ नीतियॉ तय करती है। अतः नई आर्थिक नीतियों को समझना बहुत जरूरी है। आजकल नई आर्थिक नीतियों के तहत हम भुमंडलीयकरण के बारे में बहुत सुन रहे हैं। जिसका मतलब है सारा विश्व व्यापार का केन्द्र बन सकता है। एक सुनहरी तस्वीर दिखाई जा रही है

कि हर व्यक्ति विदेशी उत्पादनों का खरीददार बन सकता है। मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है जो ग़रीब व आम वर्ग के खिलाफ़ जाता है। इस नयी नीति से हमारे स्वदेशी लघु उद्योगों पर बहुत असर पड़ रहा है। इसका सुख वे ही उठा सकते हैं जिन्हें संसाधनों की कोई कमी नहीं है।

नई आर्थिक नीति, हर क्षेत्रों में केन्द्रीयकरण व नीजिकरण को बहुत बढ़ावा दे रही है। जिससे सरकार की स्वास्थ्य नीतियों में अपनी भूमिका कम होती जा रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था में न्याय व हक रह ही नहीं गया है। स्वास्थ्य नीतियों को देखें तो पायेगें कि सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में नीजिकरण को इतना बढ़ावा दिया है कि डाक्टरी आज पेशा भर रह गई है। उससे दवाईयों की इतनी आयात बढ़ी है कि ग़रीब इन्हें खरीद ही नहीं सकता। आज से पंद्रह साल पहले प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में ज़रूरी दवाईयॉ होती थीं। जो आज नहीं मिलती यहॉ तक कि यह हाल है कि गॉवों में इन केन्द्रों की उपस्थिति ही ना के बराबर है। हर देश अपने मुल्क के लोगों की ज़रूरत के अनुसार सबसे सस्ती दवाईयॉ बनाया करते थे ताकि हर वर्ग को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। मगर आज सरकार का पूरा रवैया ही बदल चुका है। आज जो भी सरकारी नीति बन रही है व ग़रीब के खिलाफ़ ही बन रही है।

1980 के आस पास जेनेवा के अल्मा आल्टा में एक अन्तर्राष्ट्रिय कॉन्फ्रेस हुई थी जिसमें एक बहुत ही सुन्दर मॉग रखी गई थी कि स्वास्थ्य सुविधायें सबके लिए हो। यहॉ करीब सभी मुल्कों ने मिलकर पूरे देश की स्वास्थ्य नीति बनाई कि 2000 तक सबको स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। यहॉ एक घोषणापत्र भी तैयार किया गया था जिस पर हर मुल्क के सरकार की सहमति शामिल थी। इस घोषणापत्र का पूरा नज़रिया व्यक्ति और ग़रीब धूरी था। मगर विदेशी दवाई कम्पनियों के दबाव के कारण यह लागू नहीं हो सका।

आज टी बी की समस्या के लिए सरकार ने नई नीति **'सेफ्टी नेट'** बनाया है जिसका अर्थ है सुरक्षित जाल। इस नीति के तहत सरकारी अस्पतालों में टी.बी के मरीजों को केवल दो दिनों की ही दवाईयॉ ही दी जायेंगी। सरकार का मानना है चूंकि लोग दवाई के मामले में लापरवाह हैं इसलिए इस नीति के तहत उन्हें हर दो दिनों के बाद आना ही होगा। परन्तु यह चुग्गा डालने जैसी ही बात है, जिसमें मरीज को सिवाय परेशानी के कुछ और हासिल नहीं होता। अस्पतालों के रवैये से हम सभी वाकिफ़ हैं कि वहॉ गरीब कमजोर वर्ग के साथ दोहरा बर्ताव होता है। लोगों के लिए रोज़ अपना काम छोड़कर दवा की लाईन में लगना मुमकिन नहीं हैं। सरकार की ये नीतियों ग़रीब विरोधी ही महसूस होती हैं।

दूसरी तरफ हमारी नीतियों पर बाहरी अमीर मुल्कों का भी गहरा असर पड़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारा मुल्क गरीब मुल्कों में से एक है जिसने बाहरी मुल्कों से बड़े पैमाने पर कर्ज

लिया हुआ है। इस कर्जे से हमारी पूरी आर्थिक व स्वास्थ्य नीति प्रभावित होती है। मुल्क पर कर्ज चुकाने का इतना बोझ होता है कि सरकार उन सारी सुविधाओं पर **'कट बैक'** नीति कटौतियॉ करती है जिनका ग़रीब तबके से सीधा नाता है, जैसे स्वास्थ्य, राशन व शिक्षा की सुविधा।

दूसरी ओर कर्जे से पूरा मुल्क बंधुआ मजदूर की तरह हो गया है, कर्ज न चुका पाने की सूरत में हमें बाहरी मुल्कों की हर शर्ते माननी पड़ती हैं। जैसे आबदी नियंत्रण के सन्दर्भ में ही देखें तो हर कर्ज के पीछे विदेशी मुल्कों की यही मॉग है कि आबादी को नियंत्रित करो और इसके लिए जो भी साधन हैं वे हमें मजबूरन स्वीकार करने पड़ते हैं। आज विदेशी अनुदान संस्था य ूएस एड की तरफ से आठ सौ करोड़ रूपये परिवार कल्याण के नाम पर दिया जा रहा है जिसका खास मकसद आबादी नियंत्रण ही है। उसी तरह प्राथमिक शिक्षा डी.पी.इ.पी पर जोर दिया जा रहा है इसके पीछे भी यह सोच है कि बच्चों की शिक्षा होगी तो आबादी कम होगी। यहॉ केरल को उदाहरण के रूप में रखा गया कि केरल में इसलिए आबादी कम है क्योंकि यहॉ के लोग शिक्षित व साक्षर हैं। यानि कि बाहरी मुल्कों का एक ही मकसद है आबादी नियंत्रण, जिसके लिए कमज़ोर वर्ग व औरतों के खिलाफ़ तरह-तरह की नीतियॉ बनाई जा रही हैं।

स्वास्थ्य की नीतिओं के तहत ही हमारे मुल्क में कुछ औषधि नीतियॉ बनाई गई हैं।

औषधि नीति के तहत चार तरह की औषधियॉ हैं।

1. जीवन रक्षक औषधि
2. आवश्यक औषधियॉ-सामान्य बिमारियों के लिए
3. सीमान्ती औषधियॉ
4. डी कन्ट्रोल या एश्वर्य वाली दवाईयॉ

मगर हमने अपने अनुभव से महसूस किया कि जीवन रक्षक व आवश्यक औषधियों को कोई कम्पनी नहीं बनाती क्योंकि इनमें उतनी आमदनी नहीं है। ज्यादातर सीमान्ती व डी कन्ट्रोल वाली औषधियॉ ही बनती हैं जिसे संसाधनों से पूर्ण लोग ही खरीद सकते हैं और कम्पनियों को फायदा होता है। दूसरी तरफ हमारी सरकार परम्परागत जड़ी बूटी ज्ञानियों के हुनर को ही नकार रही है और इस तरह के इलाज के ज़रियों को गैरकानूनी करार कर रही है। यानि कि इलाज के वे सारे अन्य विकल्प भी सरकार हमसे छीन रही है जिनसे समूचे एक वर्ग की जरूरतें जुड़ी हैं। यही नहीं दूसरी ओर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नज़र हमारी जड़ी बूटियों पर भी है, चोरी छिपे इनका निर्यात हो जाता है, और ये कम्पनियॉ उनपर अपना पेटेन्ट लगा देती हैं। जिसके तहत अपनी ही चीज़ों के इस्तेमाल के लिए हमें बाहरी मुल्कों से इजाज़त लेनी होगी।

लैब तकनीक व जॉच के हुनर

सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में औरतों के प्रति दोहरे रवैये को हम सभी ने अनुभव किया है, और साथ ही दिन पर दिन मंहगी होती स्वास्थ्य सुविधाओं ने समूचे एक वर्ग को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित कर दिया है। यह हम सभी का अनुभव रहा कि आजकल इलाज से ज़्यादा बीमारियों की पहचान व जॉच में खर्चे होते हैं। जॉच की पूरी तकनीक को एक पेशे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और अधिकतर गॉवों में तो हालात यह है कि इन जॉचों की सुविधायें भी नहीं होती। इन्हीं सच्चाईयों के आधार पर इस प्रशिक्षण के दौरान ही हमने खून, पेशाब व अन्य जॉच के उन तरीकों को सीखा जिनकी मदद से हम अपने इलाकों में जॉच कर सकते हैं।

खून में हेमोग्लोबिन की जॉच :- हेमोसाइटोमीटर एक उपकरण है जिसकी मदद से खून में हिमोग्लोबीन की मात्रा की जॉच की जा सकती है। सबसे पहले एक ट्यूब लेंगे जिसमें एम.सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। जिसकी जॉच करनी है उसकी उॅगली को स्पीरिट से साफ कर लेंगे और संक्रमण रहित सुई को उॅगली पर चुभो कर खून निकाल लेंगे। इसके बाद एक एच.बी पीपेट लेंगे और करीब 20 क्यूबिक तक खून को उसमें खींच लेंगे। अब इस खून को हेमोसाइटोमीटर जिसमें पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला है उसमें मिला लेंगे और करीब पॉच मिनट तक छोड़ देंगे। खून में हिमोग्लोबीन की मात्रा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलते ही गाढ़े ब्राउन रंग का होकर अलग हो जाता है, अब इस रंग को हेमोसाइटोमीटर में अंकित नम्बर से मिलान करने पर खून में हेमोग्लोबीन की मात्रा का पता चल जाता है।

खून ग्रूप की जॉच :- खून जॉच की किट बाज़ार में आसानी से मयस्सर है। सबसे पहले दो स्लाइड लेंगे। अब एक स्लाइड के दोनों किनारों पर ए और बी बना लेंगे, और दूसरी स्लाइड को को बगैर कोई नाम दिये रख लेंगे। अब जिसकी जॉच करनी है उसकी उॅगली को स्पीरिट से साफ करके सुई चुभोकर खून निकाल लेंगे और दोनों स्लाइड्रों पर (स्लाइड एक पर **ए** व **बी** दोनों तरफ) व दूसरे पर एक-एक बूॅद खून डाल लेंगे। अब पहली स्लाइड के **ए** वाले किनारे पर खून के साथ ही एन्टी ए मिलायेंगे और **बी** वाले किनारे पर एन्टी बी। अब स्लाइड को हिला कर यह देखने की कोशिश करेंगे कि यह खून कौन से समूह का है। यदि खून फट कर दानों सा जाता है तो यह पोजिटिव है और यदि नहीं फटता बिल्कुल खून की तरह ही रहता है तो यह निगेटिव है। अब दूसरी स्लाइड में खून के साथ ही एन्टी डी मिलायेंगे इससे खून का आर. एच पता चल जाता है कि यदि खून ए, बी, एबी या ओ है तो यह पोजिटिव है या निगेटिव। इसमें भी यदि खून दानों की तरह हो जाये तो पोजिटिव और यदि नहीं तो निगेटिव है।

खून में ई.एस.आर की जॉच :-खून में संक्रमण की मात्रा को जॉचने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। साधारण अवस्था में हम सबमें ई.एस.आर 10 से 30 तक होता है। और यदि शरीर में संक्रमण की मात्रा बढ़ती है तो यह भी बढ़ने लगता है। इस जॉच के लिए सबसे पहले इन्जेक्शन द्वारा करीब 1.6 मार्क तक खून खींचकर शीशे की नली में रख लेते हैं। अब इस नली में खून के साथ ही सोडियम साइट्रेट की 6-7 बूदे मिलाकर ई.एस.आर जॉच के स्टैण्ड पर सेट कर देते हैं। एक घंटे बाद हम इसे देखते हैं यदि खून जितने नम्बर तक नीचे की ओर आता है उतनी ज्यादा खून में संक्रमण की ज्यादा संभावना होती है।

टी.बी की जॉच :- इस जॉच के लिए मरीज के सुबह के बलगम वाला थूक ही लेना चाहिए। जॉच के लिए एक थोड़ा गर्म स्लाइड लेगें ताकि थूक इसपर फिक्स हो जाए। अब इस फिक्सड् थूक पर कार्बोलफोक्सीन की 1-2 बूदे डालेगें। करीब दस मिनट तक स्लाइड को वैसे ही छोड़ देंगे। अब दस मिनट के बाद स्लाइड को साफ पानी से धो डालेंगे। अब इस स्लाइड पर सलफेरिक एसिड को डाइल्यूट करके धीरे-धीरे स्लाइड पर डालेंगे। अब इसे भी तीन मिनट के बाद पानी से धो लेंगे। फिर इस स्लाइड पर मैथनिंग ब्ल्यू रसायन डालकर 3-4 सेकेन्ड के बाद ही धो डालेगें वरना ज्यादा नीला होने की वज़ह से टी.बी का लाल कीड़ा नहीं दिखाई देगा। अब इस स्लाइड को धूप में कुछ देर सुखा कर माइक्रोस्कोप की सहायता से टी.बी के कीड़े को देखा जा सकता है। यह कीड़ा बारीक लाल रेशे जैसा दिखाई देता है।

पेशाब में शुगर की जॉच :- इस जॉच के लिए भी सुबह का पहला पेशाब ही जॉच के लिए देना चाहिए। जॉच के लिए एक पतली ट्यूब लेंगे जिसमें बेनेडिक सल्यूशन 5.5 मिली लीटर डालकर इस ट्यूब को स्पीरिट लैम्प से गर्म करेंगे। जब धुँआ सा आने लगे तो इसमें पेशाब की करीब 5 बूदे डालेंगे। अगर पेशाब का रंग बदलता है तो इससे पता चल सकता है कि पेशाब में शुगर की मात्रा है। यदि हरा रंग हो तो शुगर की समस्या है मगर कम मात्रा में, यदि पीला हो तो शुगर की मात्रा ज्यादा है और यदि रंग नारंगी हो तो बहुत ज्यादा शुगर है और इसका जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए।

बाइल पीगमेन्ट्स :- यह जॉच हमारे शरीर में बाइल स्त्राव की मात्रा को जॉच करने के लिए की जाती है। इसके लिए एक टेस्ट ट्यूब लेगें जिसका आकार 1 गुणा 6 इंच का होता है। एक फिल्टर पेपर जो गोल आकृति का होता है उसे चार मोड़ दे देंगे। एक फनेल कीप लेंगे। एक 5 एम एल का पीपेट व 10 प्रतिशत बेरियम क्लोराइड।

सबसे पहले पीपेट में 5एम एल बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं और उसमें ही 5 एम एल जॉच करवाने वाले का पेशाब भी मिला लेते हैं। अब दोनों को अच्छे से मिलाकर इसे फील्टर कर लेते

हैं जो एक कीप से लगा हुआ है। अब यह एक एक बूँद करके ट्यूब में इक्ट्ठा होता रहता है तब तक कि जब तक यह कीप सूख न जाए। इसके बाद इस छने हुए पेशाब में फाउचीस्ट रीएजेन्ट को डाल देते हैं और करीब एक घण्टे तक रखते हैं। यदि पेशाब का रंग हरा हो जाता है तो पोजिटिव है और यदि रंग नहीं बदलता तो जॉच निगेटिव है।

बाइल में लवण:- एक पीपेट लेंगे जिसका आकार 1/2 गुणा 4 होता है। अब दूसरा ट्यूब लेंगे जिसमें जॉच कराने वाले के पेशाब को डाल लेंगे। अब चुटकी भर सल्फर पाउडर लेंगे और पेशाब में मिला लेंगे। यदि पाउडर ट्यूब में तैरता रहे तो यह सामान्य स्थिति है और यदि यह नीचे तले में बैठ जाता है तो इसका मतलब है कि जॉच पोजिटिव है।

गर्भ धारण जॉच :- यह जॉच माहवारी की तारीख के पंद्रह दिन उपर चढ़ जाने के बाद ही किया जाना चाहिए। इस जॉच का किट भी आसानी से मिल जाता है, जिसमें सफेद रंग (रीएजेन्ट एक), पानी की तरह का(रीएजेन्ट दो), पोजिटिव कन्ट्रोलर (रीएजेन्ट तीन) व निगेटिव कन्ट्रोलर (रीएजेन्ट चार) होते हैं।

जॉच के लिए महिला को एक संक्रमण रहित शीशी देते हैं जिसमें उसे सुबह का सबसे पहला पेशाब देना होगा। इस जॉच में यह सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि रात के खाने के बाद सुबह पेशाब देने तक महिला को कुछ खाना नहीं चाहिए यहॉ तक कि पानी भी नहीं पीना चाहिए।

जॉच के लिए एक स्लाइड (विशेषकर इसी जॉच के लिए बने होते हैं) लेते हैं, अब इसपर एक बूँद पेशाब डालकर करीब तीस सेकेन्ड तक रीएजेन्ट दो मिलाते हैं फिर करीब दो मिनट के लिए रीएजेन्ट एक मिलाते हैं और यदि यह नहीं फटता तो इसका मतलब जॉच निगेटिव है और यदि फट जाता है तो जॉच पोजिटिव है। एक किट की मदद से एक बार 25 महिलाओं की जॉच की जा सकती है।

औरतों का स्वास्थ मेला

हमारे दूसरे चरण का खास उददेश्य गॉव में स्वास्थ्य मेले का आयोजन कर स्व जॉच के हुनरों को और मजबूत करना था। इसलिए हमने गोमिया-बिहार गॉवों के इलाके का चयन किया ताकि गॉव के अनुभव मिल सकें। इलाके का परिवेश, औरतों के स्वास्थ्य की स्थिति, सामाजिक रवैया व अन्य बातों की जानकारी के लिए 'महिला जागृति केन्द्र' औरतों की संस्था की संस्थापिका पिलार ने यहॉ के माहौल के बारे में बात-चीत की जो कई सालों से इस इलाके की औरतों के साथ काम कर रही हैं।

गोमिया कारखानों का मायाजाल :- गोमिया में आदिवासी संथाल की बहुलता है। इनके अपने रीति रिवाज़, सांस्कृतिक-धार्मिक मान्यतायें व कृषि पद्धति हैं। जंगलों व ज़मीनों पर कोयले के दोहन के लिए सरकार का कब्ज़ा हो जाने से ज़्यादातर लोगों की रोजी रोटी मारी जा रही है। पिछले पचास सालों से कोयले के कारखानों व मशीनों ने इस इलाके में अपना कब्ज़ा जमा रखा है। जहॉ एक ओर यह इलाका कोयले की खदानों से धनी है वहीं अधिकतर लोगों का आर्थिक जीवन स्तर निम्न है। ज़्यादातर परिवार की ज़िन्दगी कोयले की मजदूरी करके ही चलती है। इलाके में कारखानों की वज़ह से बाहर से लोग आ रहे हैं जो यहॉ के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। 'ज़मीन से कोयला मिल रहा है' ऐसा कहकर सरकार द्वारा गॉव के गॉव खाली कराये जा रहे हैं। इलाके में विस्थापन की समस्या इतनी बढ़ती जा रही है कि इससे बेरोजगारी, असंतोष व हिंसा जैसी बातें आम हो गई हैं। एक तरफ कारखानों से निकलते दिन रात के धुंए से वातावरण प्रदूषित हो रहा है तो दूसरी ओर यहॉ की नदियों को कारखानों के रसयान व गन्दगी प्रदूषित कर रहे हैं। यही पानी गॉव में लोगों द्वारा खाने-पीने के इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जिसका सीधा रिश्ता लागों के सेहत से जुड़ा दिखता है।

इस क्षेत्र की इन औद्योगिक परिस्थितियों से घिरी औरत की सामाजिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं की स्थिति कुछ इस प्रकार है।

- खून में लौह तत्वों की कमी
- बच्चा न होने की समस्या
- संक्रमित सफेद पानी की समस्या
- बच्चेदानी का बाहर आना
- टी.बी
- अस्थमा
- मलेरिया
- डायन कह कर एकल औरत को घर से निकाल देना।
- शराब पीकर औरत से मार-पीट करना।
- छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर देना।
- दहेज के लिए औरतों को जान से ख़त्म कर देना।

इलाके की समस्याओं के बारे में पूरी तरह से परिचित होने से हमें मेले की पूर्व तैयारी में बहुत मदद मिली। इन सारी समस्याओं को केन्द्र में रखकर, हर शाम छोटे-छोटे समूहों में एक दूसरे की मदद से हमने पोस्टर, नारे व गीत तैयार किये। हममें से कई सहभागी औरतों के लिए स्वास्थ्य मेला पहला अनुभव था। अत: इसकी तैयारी के लिए हर बारीक से बारीक बातों को सीखने के प्रयास भी चल रहे थे। मेले में आई औरतों की जॉच के लिए स्व जॉच द्वारा योनि व गर्भाशय जॉच के हुनरों के अभ्यास के साथ ही हम सहभागियों ने एक दूसरे की जॉच से आत्मविश्वास बनाया। ग्लब्स व स्पेक्यूलम को सही तरीके से साफ व संक्रमण रहित करने से लेकर इसके रख रखाव व इस्तेमाल तक के सभी पहलुओं की तैयारी की।

मेले का उद्देश्य

- मेले के प्रत्यक्ष अनुभव से स्व जॉच के हुनरों को और मजबूत करना।
- अपने हुनरों को मजबूत करने के साथ ही औरतों को विभिन्न स्वास्थ्य जानकारियॉ देना।
- मेले के दौरान बहुत सारी औरतों की समस्याओं को एक साथ देखना समझना व विश्लेषण कर पाना।
- औरतों की समस्याओं को समझकर उन्हें ऐसे इलाज के सुझाव देना- जो वो अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में कर सकें।
- स्वं जॉच के हुनरों से बहनों को भी परिचित कराना और समझाना कि वे स्वंय् भी अपनी जॉच कर सकें।
- स्वास्थ्य मेले से अपनी पहचान बनाना ताकि औरतें लगातार जॉच के लिए आ सकें। मेला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व औरतों के बीच एक सेतू की तरह बन जाता है। इससे सम्पर्क के रास्ते खुल जाते हैं।

इन उद्देश्यों के साथ हमने गोमिया में दो अलग-अलग इलाकों में दो दिनों के स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया। पहला मेला एक छोटे से कस्बे 'गोमिया बस्ती' के एक किराये के स्कूल में किया गया और दूसरा एक दूर दराज़ के कोयला खदानों से घिरे गॉव में। हमने मेले की शुरूआत गानों से की फिर प्रतिभागियों के अलग-अलग समूहों ने स्वास्थ्य जानकारियों वाले पोस्टर के माध्यम से स्वास्थ्य के विभिन्न पहुओं पर चर्चा की। जॉच के अलग-अलग शिवरों की व्यवस्था से औरतों को हर एक शिविरों तक पॅहुच पाने और लाभ उठा पाने में सहूलियत रही जैसे:- पोस्टरों द्वारा स्वास्थ्य जानकारी, जड़ी-बूटियों के बारे में जानकारी, गर्भवती औरतों की जॉच, सफेद पानी की जॉच व खून में हिमोग्लोबीन की जॉच। इससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में औरतों को सुविधायें मिल सकीं।

औरतों के स्वास्थ्य मुद्दे के कुछ खास पहलू

स्वास्थ्य मेले की इस पूरी प्रक्रिया में मेले की सफलता के साथ ही कुछ ऐसे मुद्दे भी उभर कर आए जो औरत के प्रति समाज के रवैये को सामने लाते हैं। मेले की शुरूआत में ही हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इलाके के कुछ सत्ताधारी नेताओं ने इस मेले का विरोध किया और समूह में विदेश से आई संदर्भ महिला को देखकर कहा कि 'हमें विदेशियों से सीखने की ज़रूरत नहीं है।' 'इस तरह का मेला हमारी संस्कृति के लिए ख़तरनाक है।' एक तो इतने बड़े मेले का आयोजन उस पर इस तरह की रूकावटें, हमें महसूस हुआ कि कहीं हमारी सारी कोशिशें ज़ाया न हो जायें। हमने वहॉ के मुख्य अधिकारी से बातचीत की और उन्हें विश्वास दिलाया कि इस मेले का उद्देश्य औरतों को स्वास्थ्य जानकारी बॉटना है कुछ और नहीं। मगर फिर भी पूरे मेले के दौरान ये अधिकारी वहॉ मौजूद रहे और निरक्षण करते रहे।

इस पूरे प्रकरण में हमने महसूस किया कि हमारी ज़िन्दगियों पर किस तरह राजनीति और समाज के हर पहलूओं का असर है, जो हमें हमारी परम्परावादी भूमिका में ही बांधे रखता है। और जब हम अपनी जगहें बनाने लगती हैं तो किस तरह समाज के लिए डर बन जाती हैं, पूरी सत्ता हमें बिखेरने में लग जाती है। मेले के दौरान इस डर को हमने बखूबी देखा, और पूरी प्रकिया को एक चुनौती सी मानकर मेले को जारी रखा।

दूसरे मेले का आयोजन हमने एक ऐसे गॉव में किया जो चारों तरफ से कोयले की खदानों से घिरा हुआ था, जिसकी काली परत अपने चेहरों व हाथों पर हम आसानी से महसूस सकते थे। साथ ही उस इलाके में बहती एक ही नदी सात-आठ गॉवों को पोसती है, और वह भी कारखानों की धूल व गन्दगी से अछूती नहीं है। कारखानें की सारी गन्दगी इन्हीं नदियों में डाली जा रही है। ऐसे माहौल में बीमारी लाज़िम ही है। मेले के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा औरतों की ऑत की तकलीफ़ें सामने आई और यही सच्चाई उभर कर आई कि गॉवों में तेजी से उगते कारखानें, लोगों के सेहत व ज़िन्दगियो पर पैर पसारते जा रहे हैं। लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं और वे राजसत्ता के आगे मजबूर हैं। हमने महसूस किया जब आस-पास जीने की सारी परिस्थितियॉ ही हमारे खिलाफ़ हों तो संघर्ष और गहरा जाता है।

जॉच के दौरान हमने पाया कि अधिकतर औरतों की 'फैमिली प्लानिंग कार्यक्रम' के अर्न्तगत नसबन्दी हो चुकी है। जिससे योनि व बच्चेदानी का संक्रमण, अनियमित महावारी व कमर दर्द जैसी तकलीफों की संभावना बहुत बढ़ जाती है।

परिस्थियों के बाहरी दबाव और औरतों के गिरते स्वास्थ्य का विभत्स रूप हमारे सामने आया। दोनों मेले के दौरान हमने करीब सौ औरतों की अन्दुरूनी जॉच की, जिसमें हमने पाया कि ज़्यादातर समस्याओं की जड़ें गहरी हैं। ज्यादातर संकमण (ट्राइकोमोनासिस) मर्द से औरत तक पहुॅचे हैं, और हम बखूबी जानते हैं कि औरत यौन के लिए मर्द को 'ना' नहीं कह सकती। हमने नीम की पोटली, मेथी दाने व लहसुन की कलियों के सुझाव तो दिए मगर संकमण के लिए लम्बे दौर के इलाज की ज़रूरत है। जिसके लिए इस इलाके में न तो स्वास्थ्य की व्यवस्था है जो औरतों के प्रति संवेदनशील हो और न ही दूसरे और विकल्प।

मेले में आई औरतों की स्वास्थ्य समस्यायें

मेले में जॉच के दौरान औरतों की स्वास्थ्य स्थितियों का एक चित्र उभर कर आया।

- गर्भाशय का बाहर आना।
- गर्भाशय में सूजन।
- गर्भाशय के मुॅह पर घाव।
- योनि द्वार पर फूंसी व लाली।
- योनि की दिवारें गिरी हुई।
- अनियमित महावारी।
- बड़ी ऑतों में दर्द।
- पिशाब की नली में संकमण।
- कमजोरी व खून में लौह तत्वों की कमी।

ये सारी हालातें हमारी अपनी भूमिका पर एक सवाल की तरह उभर रही थीं कि क्या हमारी कोशिशें इन हालातों से लड़ पायेगीं? एक दिन का ये मेला अपनी कितनी छाप छोड़ सकता है? औरतों के तेजी से गिरते स्वास्थ्य के इन मूलभूत जड़ों पर हम कितनी चोट कर पायेगें? मगर मेले में औरतों की भागीदारी और रूचि से एक नई ताकत भी महसूस हो रही थी जो मांग कर रही थी हमारी गहरी प्रतिबद्धता की।

मेले का मूल्यांकन

मेले के दौरान के अपने अनुभव व प्रतिकिया के लिए हमने कुछ सवालों के ज़रिए मेले के मूल्यांकन पर बातचीत की। जिसे सहभागियों ने छोटे-छोटे समूहों में इस पर चर्चा कर अपनी प्रतिकियाओं को सामूहिक रूप बॉटा।

1. क्या मेले से स्व जॉच में आत्मविश्वास बढ़ा है?
2. मेले में क्या मजबूतियॉ व कमियॉ थीं?
3. क्या मेले का उद्देश्य पूरा हुआ?
4. सहभागियों का आपसी तालमेल कैसा था?

मेले के कुछ सकारात्मक पहलू

- स्वास्थ मेला औरतों तक पहुँच पाने का एक प्रभावशाली माध्यम है जिसमें औरतों को अपनी समस्यायें रखने का मौका मिलता है।
- 'महिला जागृति केन्द्र' संस्था की पहचान से मेले को बहुत मजबूती मिली। जागृति समूह द्वारा औरतों को मेले की पूर्व सूचना होने से काफी तादात में औरतों ने भागीदारी ली।
- स्व जॉच के हुनरों में बहुत आत्मविश्वास आया। सन्दर्भ महिलाओं व अन्य सहभागियों की मौजूदगी से प्रत्यक्ष सीखने का मौका मिला।
- सहभागियों का आपसी तालमेल बहुत अच्छा था, सीखने के साथ ही एक दूसरे को सिखाने की प्रकिया काफी मजबूत थी। एक दूसरे की मदद से ही ज़्यादा तादाद में औरतों की जॉच संभव हो पायी।

कुछ दिक्कतें व कमजोरियॉ

- पहले दिन के मेले में इलाके के नेताओं की दख़ल से बहुत दिक्कत आई, एक बार को लगा कि हमारे मेले का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा।
- मेले के दौरान स्व जॉच कराने वाली औरतों की तादाद ज़्यादा थी जिससे जॉच के दौरान कई औरतों को इन्तज़ार करना पड़ रहा था। ऐसे समय के लिए कुछ अन्य कार्यक्रम या मनोरंजन की व्यवस्था की जा सकती थी।
- मेले के दौरान ही खून की जॉच की तरफ ज़्यादा रूझान नज़र आ रहा था। जिससे यह सच्चाई सामने आई कि बहुत जल्दी तकनीकियॉ हमें आकर्षित कर लेती हैं।

नया सीखने की प्रकिया

- कई बार गॉव के हालात को देखकर पहले से तय योजनाओं में तब्दीली करनी पड़ती है, यह क्षमता स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में होनी चाहिए।
- नुक्कड़ नाटक, छोटे रोल प्ले द्वारा स्वास्थ्य की जानकारियों को प्रभावपूर्ण ढ़ग से रखा जा सकता है, इससे औरतों में रूचि भी बढ़ती है।
- तुरन्त निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए जैसे मेले के दौरान ही हमने कई किशोरियों को भी रूचि लेते देखा तो तुरन्त सन्दर्भ महिला की मदद से एक किशोरी समूह तैयार कर उनसे बातचीत शुरू कर दी।

औरतों की समस्यायें व स्वास्थ्य के रिकार्ड

औरतों की अन्दुरूनी जॉच के दौरान हम उनकी बहुत सारी तकलीफों से वाक़िफ हुए और इन समस्याओं का लम्बे समय तक फॉलो-अप करने के लिए हमने रिकार्ड बनाने के तरीकों पर बातचीत की। इस टैब्यूलेशन की मदद से स्वास्थ्य केन्द्रों में आयी औरतों की समय-समय पर स्वास्थ्य स्थिति का जायज़ा लिया जा सकता है। इन रिकार्डो की मदद से स्वास्थ्य नीतियॉ बनाने में सहयोग मिल सकता है कि किस विशेष समस्या पर ज़्यादा काम किया जाए। स्वास्थ्य सुविधायें औरतों तक कितनी पहुँचती हैं इसे मापने के लिए इन ऑकड़ों से बहुत मदद मिलती है। इससे इलाके में किस समस्या की बहुलता है यह छवि भी स्पष्ट रूप में सामने आ जाती है, जिसके सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक व आर्थिक कारणों का पता भी चलता है।

उदाहरण :-

क्र. व तारीख	नाम	उम्र	गाँव	लक्षण	जाँच	तकलीफ़	कारण	इलाज
	झालोदेवी	30	गंजुड़ी	• बार-बार पेशाब होना • कमर दर्द • पेड़ू दर्द • बदन दर्द • पेशाब का रंग पीला • सफेद पानी में गंध	स्तन | स्पे | बाई | लैब • स्पेक्यूलम • बाईमैन्यूअल	• गर्भाशय के मुँह पर लाल जख्म, सूजन • स्त्राव का रंग मटमैला • मच्छी की गंध • पेशाब की थैली में सूजन, • संक्रमण ट्राइकोमोनासिस	- पति से लगा संक्रमण - पेशाब की थैली में संक्रमण - संभोग में जबरदस्ती	• नीम की पोटली योनि द्वार में रखना • लहसुन की कली रोज खाना • पति के लिंग पर भी नीम का लेप • इलाज के दौरान संभोग न करना • खूब पानी पीना

भविष्य की योजनायें

स्व जॉच एवं स्व सहायता के इस पूरे प्रशिक्षण को आगे ले जाने व तीसरे चरण की कार्य योजना पर हमने बातचीत की।

- हर समूह ने अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य मेला करने की ज़िम्मेदारियॉ ली।
- हर समूह ने ज़िम्मेदारी ली कि वे अपने इलाकों में हो रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की तीन-तीन महीने की रिपोर्ट बनायेगें व इसे अन्य इलाकों के साथ बॉटेगें।
- जिन इलाकों में स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं, वे यदि बताये गये तरीकों से औरतों की समस्याओं का रिकार्ड रख सकें तो तीसरे चरण में हमें इसे और गहराई से समझने में मदद मिलेगी।
- अपने इलाके में स्व जॉच के हुनरों को कितना इस्तेमाल कर पाये व इससे कितनी मदद मिल पायी आदि अनुभवों को आपस में बॉटना।
- एक दूसरे के इलाकों में भी जाकर स्वास्थ्य कार्यक्रमों को देखना। इस प्रक्रिया से एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
- पहले से चल रहे नारीवादी स्वास्थ्य केन्द्रों को जाकर देखना व वास्तविक परिस्थितियों को समझना, नारी स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धियों और दिक्कतों पर विचारविमर्श करके भविष्य की ज़रूरतों पर नई रणनीतियॉ बनाना।

अत: इन सब जिम्मेदारियों के साथ तीसरे चरण में एक बार फिर मिलने की उम्मीद के साथ प्रशिक्षिण का दूसरा चरण खत्म हुआ।

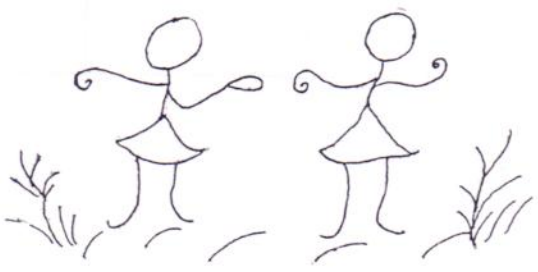

प्रतिभागियों व संदर्भ महिलाओं के नाम व पते

हरभजन, हेलन, सरोज व रानी
महिला जागृति केन्द्र
पी.ओ.टी.ई गोमिया
जिला – बोकारो, बिहार
फोन – 06544 – 61040

विमला, सरिता, सुधा व यशोधरा
महिला समाख्या – टिहरी
सेक्टर – 2, जी – 31,
नियर कलेक्टोरेट
नई टिहरी – उत्तर प्रदेश
फोन – 01376 – 32483

बेला व राजकुमारी
महिला समाख्या – वाराणसी
डी – 61/24ई, सिद्वगिरी बाग
सिगरा वाराणसी – उत्तर प्रदेश
फोन – 0542 – 358023

विद्या व नगीना
महिला समाख्या – बांदा
427/380 रामपुरी
एल आई सी बिल्ड़िग के पास
कर्वी, बांदा – उत्तर प्रदेश

ममता
वनागंना
द्वारकापुरी कॉलोनी कर्वी
जिला – बांदा, उत्तर प्रदेश – 210205

संतोष, सुशीला व सुनीता
महिला समाख्या – सहारनपुर
मकान न0 17, विष्णु धाम
न्यू माधव नगर
जिला – सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
फोन – 0132 – 723338

सयैद रफ़त सुल्तान
113 श्री डायमन्ड
सेन्टर विकरोली (वेस्ट)
मुम्बई – 83
फोन – 022 – 5774742

देवशाला
वाचा
टैंक लेन म्यूनिसिपल स्कूल
एस. वी. रोड़
अखबरैली सांताकूज (वेस्ट)
मुम्बई – 400054
फोन – 022 – 6055523

सबला
वसन्त व्यू
फ्लैट न0 201 'ए' विंग
डीमोन्टे लेन, ओरलेम
मलाड वेस्ट
मुम्बई – 400064
फोन – 022 – 8886237

आभा भैया, शान्ति व सीमा श्रीवास्तव
जागोरी
सी – 54, साउथ एक्सटेंशन भाग – 2
नई दिल्ली – 49
फोन – 011 – 6257015, 6253629